



प्रेस नोट थाना कांट



शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक – 25.07.2026

"थाना कांट पुलिस द्वारा जानलेवा हमला एवं तोड़फोड़ के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त भाला बरामदा"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी, अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कांट के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.07.2026 को वादी श्री सचिन देव शर्मा पुत्र शिवपाल शर्मा निवासी ग्राम भित्तिया पौकी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कांट पर तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि जब वह अपनी पुस्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे, तभी विपक्षीय एक राय होकर हथियारों से लैस होकर आए तथा वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया एवं निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कांट पर मु०अ०सं० 351/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/351(3)/324(4) बीएनएस बनाम रजनीश आदि कुल 07 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कांट पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में थाना कांट पुलिस टीम कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थी। तभी मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 24.07.2026 को समय करीब 14:27 बजे वांछित अभियुक्त रजनीश पुत्र रामरहीस निवासी ग्राम भित्तिया पौकी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक भाला बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम -

रजनीश पुत्र रामरहीस निवासी ग्राम भित्तिया पौकी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० - 351/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/351(3)/324(4) थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 24.07.2026 समय करीब 14.27 बजे अभियुक्त उपरोक्त के घर ग्राम भित्तिया पौकी में थाना कांट, शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण -

एक अदद भाला, कुल लंबाई 08 बालिस्त 08 अंगुल।

गरफ्तार करने वाला पुलिस टािम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।
2. उ०नि० श्री नागेन्द्र तिवारी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।
3. का० 2510 अंकित गौस्वामी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।
4. रि०का० रक्षक तोमर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।